न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/448
दायरा तिथि : 04.11.2024
आदेश तिथि : 19-12-25

प्रार्थी :–
मोहनलाल पुत्र रूपाराम जाति सरगरा निवासी बोया तहसील बाली जिला पाली
ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. राजस्थान सरकार
2. परदुस जवाई एल0एल0 पी
3. कुन्दन कंवर पुत्री सुरवसिंह निवासी जवाली
4. गजेन्द्र सिंह पुत्र सुरवसिंह निवासी पेरवा
5. पवन कवर पुत्री सुरवसिंह निवासी मानपूरा
6. लियाक्ष्मा देवडा पूत्री सुरवसिंह निवासी पैरवा
7. वर्षा कंवर पुत्री बुध कंवर निवासी गुडा केसर सिंह जाति राजपूत जिला पाली
8. धनराज बैरवा पुत्र हीरालाल जाति बैरवा निवासी बोरखेडा सहसपुरिया बूदी
9. राजेश पुत्र मोहन लाल जाति मेघवाल निवासी – मेघवालो का मोहल्ला गोरधनपुरा दोहन्य कोटा नन्ता

उपस्थितिः–
1. श्री भरत जे. राठौड ....अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री दिनेश गहलोत .... अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 6, 7
3. श्री मदन परिहार .... अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 8, 9
4. नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांकः 19-12-25

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 356 रकबा 4.48 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 358, 882/366, 365, 877/372 व 886/878 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/2537 दिनांक 14.08.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थीगण के खेत से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रस्ता ही इस हेतु इकलोल स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रासता उपलब्ध समस्त रास्तों में एकमात्र विकल्प एवं निकटतम है।
3. यह है कि आवेदित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि आवेदित रास्ते हेतु प्रभावित हो रही भूमि का खसरावार विवरण निम्ननुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	886/878	0.07	गै0 मु0 रास्ता	–	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	877/372	0.16	गै0 मु0 रास्ता	–	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	365	1.96	चाही दोयम चाव दोयम	124*09=1116 वर्गमीटर	गजेन्द्र सिंह पुत्र सुखसिंह वगैरा , सा0 देह खातेदार
4	882/366	0.14	चाही दोयम चाव दोयम	140*09=1260 वर्गमीटर	गजेन्द्र सिंह पुत्र सुखसिंह वगैरा , सा0 देह खातेदार
5	358	4.88	चाही दोयम चाव दोयम	166*09=1494 वर्गमीटर	धनराज बैरवा पुत्र हीरालाल,हिस्सा 2/3, राजेश पुत्र मोहनलाल, हिस्सा 1/3 वगैरा बदस्तूर सरकार

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार...........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/448
अनवान मोहनलाल बनाम परदुस जवाई वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

5 यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

6 यह है कि भू0अ0 निरीक्षक बीसलपुर की रिपोर्टनुसार प्रसतावित खसरों की डी0एल0सी0 दर 2,30,000/– रूप्ये प्रति हैक्टर है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी को आवेदित रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण सं0 2,8,9 की ओर से वकील श्री मदनलाल परिहार द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा अपार्थीगण सं0 3 से 7 की ओर से वकील श्री दिनेश गहलोत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बाली से प्राप्त रिपोर्ट के सबंध में अप्रार्थी सें0 2,8,9 में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रार्थी को आवेदित मार्ग तथा तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति प्रकट कीं। अप्रार्थीगण सं0 3 से 7 के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत द्वारा प्रकरण में आपति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने रास्ते का उक्त आवेदन खसरा न0 877/372 व 358 के खातेदार से दुर्भिसन्धि कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी स्वयं बेनामी खातेदार है एवं खसरा न0 881/366 व खसरा न0 879/357 के खातेदार राज्य क्षेत्र से बाहरी व्यक्ति है तथा खसरा न. 358 भी राज्य से बाहरी व्यक्ति होने से खसरा न0 877/372 जो कि एक प्राईवेट कम्पनी है ने प्रार्थी को आगे कर उक्त रास्ता का आवेदन किया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न0 353,354, 355 ,356 की कृषि भूमियो के लगते ग्राम पैरवा के खसरा न0 344 की कृषि भूमि स्थित है, जिसमे से होकर मुख्य सडक खसरा न0 343 व 318 से प्रार्थी के खातेदारी भूमि तक पहुच का निकटतम व सरल रास्ता है , जिससे प्रार्थी ने रास्ते की मांग नही कर मात्र अपार्थी स0 3 से 7 को परेशान करने की नियत से खसरा न 365 व 882/366 से रास्ते की मांग की है जो नियमों के विपरीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किए जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात् प्रकरण में पुनः तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2025/3445 दिनांक 9.12.2025 से निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की।

1. यह है कि आवेदक (खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ता समस्त स्त्रोतो से निकटतम हैं।
3. यह हैं कि ग्राम पैरवा में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	886/878	0.07	गै0 मु0 रास्ता	700 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	877/372	0.16	गै0 मु0 रास्ता	1600 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	365	1.96	चाही दोयम जाव दोयम	124x09=1116 वर्गमीटर	लियाक्ष्मा पुत्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपुत वगैरा , सा0 देह खातेदार
4	882/366	0.14	चाही दोयम जाव दोयम	140x09=1260 वर्गमीटर	लियाक्ष्मा पुत्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपुत वगैरा , सा0 देह खातेदार
5	358	4.88	चाही दोयम जाव दोयम	166x09=1494 वर्गमीटर	धनराज बैरवा पुत्र हीरालाल,हिस्सा 2/3, राजेश पुत्र मोहनलाल, हिस्सा 1/3 वगैरा बदस्तूर सरकार

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

4. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।
5. यह है कि भू0अ0 निरीक्षक बीसलपुर की रिपोर्टनुसार प्रसतावित खसरों की डी0एल0सी0 दर 2,30,000/– रूप्ये प्रति हैक्टर है।

प्रकरण में पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। खसरा न0 886/878 रकबा 0.07 हैक्टर एवं खसरा न0 877/372 रकबा 0.16 हैक्टर की किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने तथा राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज होने से इन खसरो की भूमि में आने जाने के

पेज लगातार..........03

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/448

अनवान मोहनलाल बनाम परदुस जवाई वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

लिए प्रार्थी को किसी प्रकार की रूकावट/ बाधा उत्पन्न नही होने से नए सिरे से रास्ता दिये जाने की भी आवश्यकता नही रहती है। तथा अप्रार्थी सं0 2, 8, 9 की रास्ते बाबत् सहमति होने से अब मात्र खसरा नंबर 365 एवं 882/366 के खातेदार द्वारा लगाई गई आपतियों का ही निवारण किया जाना है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 356 रकबा 4.48 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इस सबंध में अप्रार्थी से 2, 7 व 8 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने के लिए सहमति भी प्रकट कर दी है। अप्रार्थी स0 3 से 7 की आपति है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में जाने के लिए खसरा न0 344 होकर नजदीकी रास्ता मुख्य सडक खसरा न0 343 तक हो सकता है इस लिए नजदीकी रास्ते से रास्ता दिए जाने की दलील दी गई है। प्रस्तुत आपत्ति में दर्शित रूट से प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिए रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल का आकलन पत्रावली पर उपलब्ध नक्शे से नायाब तहसीलदार बाली से तकमीना लिए जाने पर अपार्थी द्वारा दर्शित मार्ग से रास्ता दिए जाने पर कुल क्षेत्रफल 3870 वर्गमीटर प्रभावित होना बताया जबकि तहसीलदार द्वारा जांच के पश्चात रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण सं0 3 से 7 की खातेदारी भूमि में से निम्नानुसार रकबा ही प्रभावित होता है:-

खसरा नंबर	रकबा	प्रस्तावित रकबा
882/366	0.14 हैक्टर	140*9=1260
365	1.96 हैक्टर	124*9= 1116
	कुल क्षेत्रफल	2376 वर्गमीटर

इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदार भूमि का प्रभावित रकबा 2376 वर्गमीटर ही होता है, इसके विपरित प्रस्तुत आपत्ति में वर्णित रूटं अर्थात खसरा न0 344 के रास्ते से प्रार्थी को नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने पर रकबा 3870 वर्गमीटर प्रभावित होता है। इस प्रकार आपत्ति में वर्णित रूट से रास्ता दिये जाने पर नजदीकी रास्ता न होकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित रूट से ही नजदीकी रास्ता है। इस सबंध में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के प्रावधानो के अनुसार एक खातेदार काश्तकार को अपनी जोत तक पहुच मार्ग उपलब्ध न होने की दशा में आवेदक खातेदार के आवेदन पर उपखंड अधिकारी सक्षिप्त जांच के पश्चात खातेदार की खातेदारी भुमि तक रिकार्डड पहुच मार्ग न होन की दशा में निकटतम रूट से नया रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित कर सकता है । उक्त प्रकरण में भी प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार बाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसके अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि पहुच का कोई विकल्प नही होन`स प्रस्तावित मार्ग से नया रास्ता दिए जाने के अनुशंषा की गई है। तथा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित खसरा न0 358 के खातेदारो द्वारा अपनी सहमति भी प्रकट कर दी है तथा खसरा न0 886/878 व खसरा न 877/372 पहले से गैर मुमकिन रास्ता के बतौर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। मात्र खसरा न. 365 व ख0 न0 882/366 के खातेदारान अप्रार्थी स0 3 से 7 के द्वारा आपत्ति पेश कर खसरा न0 344 में से होकर वैकल्पिक रास्ते का सुझाव दिया परन्तु उक्त रूट से प्रभावित रकबा की गणना करने पर 3870 वर्गमीटर का रकबा प्रभावित होता है, जबकि तहसीलदार बाली की प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी स0 3 से 7 की भूमि का रकबा 2376 वर्गमीटर ही होता है जो की निकटतम मार्ग है तथा विधि के प्रावधान भी निकटतम रूट से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान करते है। इस प्रकार अप्रार्थी से 3 से 7 की आपत्तिया निराधार होने से खारीज की जाती है तथा तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात कार्यालय पत्रांक राजस्व /2025/2537 दिनांक 14.08.25 से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि पैरवा के खसरा न 356 तक नया मार्ग उपलब्ध करया जाना न्यायसंगत है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली

पेज लगातार..........04

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/448
अनवान मोहनलाल बनाम परदुस जवाई वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

के खसरा नंबर 356 रकबा 4.48 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमिया ग्राम पैरवा पटवार हल्का पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 365, 882/366, 358 एवं राजकीय सिवायचक भूमि में से रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,30,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
886/878	0.07	-	23	-	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
877/372	0.16	-	23	-	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
365	1.96	124*09=1116 वर्गमीटर	23	1116x23x2= 51336	लियाक्ष्मा पुत्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपुत वगैरा, सा0 देह खातेदार
882/366	0.14	140*09=1260 वर्गमीटर	23	1260x23x2= 57960	लियाक्ष्मा पुत्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपुत वगैरा, सा0 देह खातेदार
358	4.88	166*09=1494 वर्गमीटर	23	1494x23x2= 68724	धनराज बैरवा पुत्र हीरालाल,हिस्सा 2/3, राजेश पुत्र मोहनलाल, हिस्सा 1/3 वगैरा बदस्तूर सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार देय प्रतिकर राशि खसरा न0 358 के खातेदार सहमत होने से उनकी सहमति से खसरा न0 365 व 882/366 के खातेदार अप्रार्थी सं. 03 से 07 को देय प्रतिकर राशि 109296 रूपये (एक लाख नौ हजार दो सौ छियानवें रूपये मात्र) आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थी सं. 03 से 07 को अदा की जायेगी । राशि नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमिल दरामद के नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनश बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली
बाली

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 1567 - 1571
दिनांक : 19-12-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, पैरवा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री मोहनलाल पुत्र रूपाराम जाति सरगरा निवासी बोया तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with OKEN Scanner

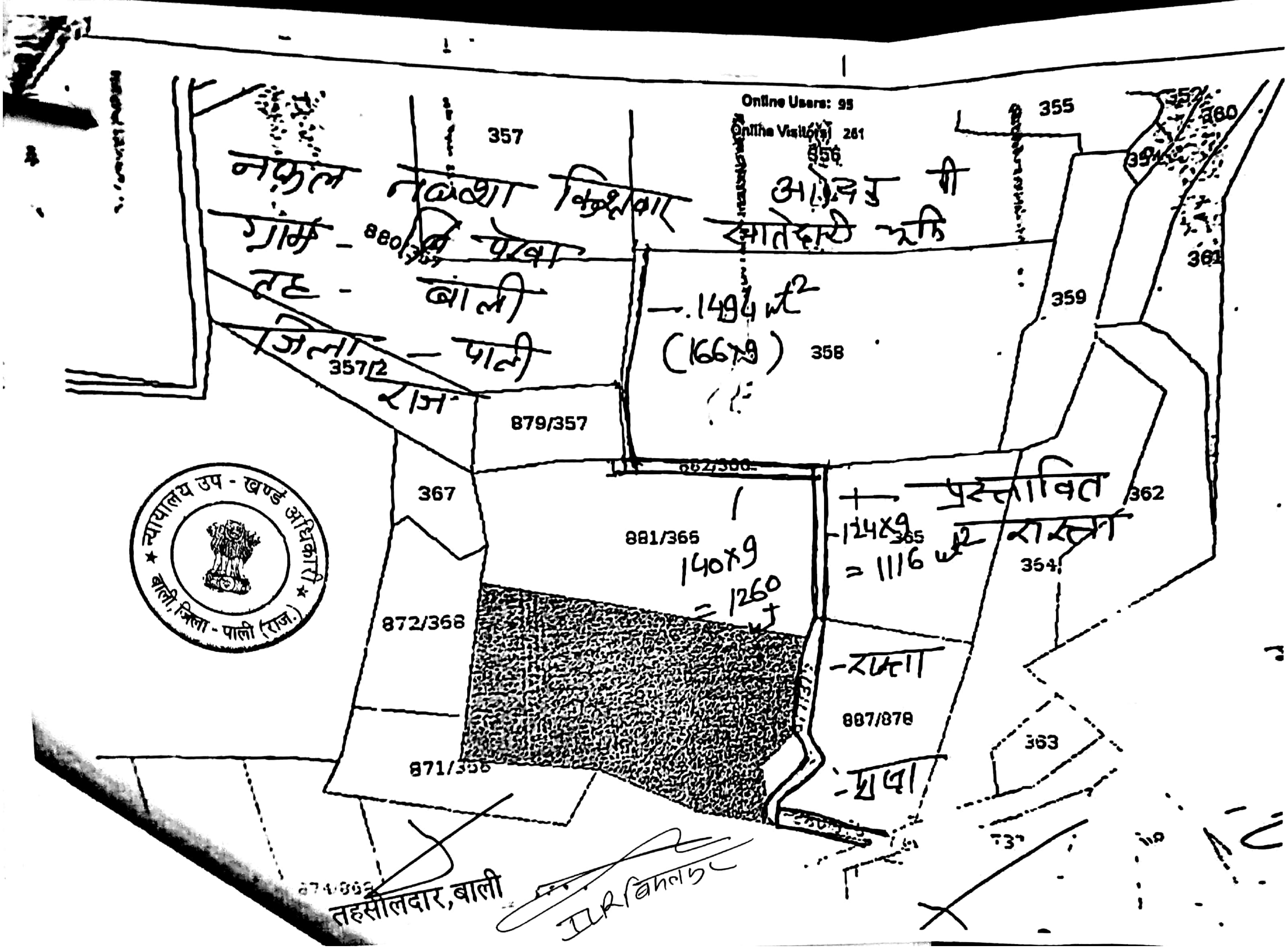

Scanned with OKEN Scanner